मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 2278 /स्था/मुप्रनिबो/2016 भोपाल, दिनांक 22 SEP 2017

कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 144 वीं बैठक दिनांक 26 जुलाई 2017 में लिये गये निर्णय आंचलिक कार्यालयों में पदस्थ आंचलिक अधिकारियों को बोर्ड द्वारा पत्र क्रमांक 13104 दिनांक 14/12/1990 में प्रदत्त शक्तियों को प्रतिस्थापित करते हुये निम्नानुसार शक्तियाँ के प्रत्यायोजित की जाती हैं :-

प्रशासकीय शक्तियाँ :

शक्तियों की विशिष्टियां	आंचलिक अधिकारियों की शक्तियां
आकस्मिक तथा विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर करना।	आंचलिक कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये।
दौरा कार्यक्रम का अनुमोदन।	कार्यालय के सभी कर्मचारी/अधिकारी के अंचल एवं मुख्यालय की यात्राओं हेतु ।
प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं, निर्माण व अनुसंधान, निर्माण कियान्वयन	क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग से प्रत्येक जिलेवार योजनाओं का निर्माण।
क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण	क्षेत्रीय कार्यालय व क्षेत्रीय प्रयोगशाला के समस्त रिकार्ड, दस्तावेज, रजिस्टरों का परीक्षण कर कम्पलायंस संबंधी प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रस्तुत करना।
संयुक्त दूषित जल उपचार योजना का निर्माण व रखररखाव।	आंचलिक कार्यालय के कार्यक्षत्र में संपादित करने का दायित्व
मध्यम एवं वृहद उद्योगों का निरीक्षण।	निरीक्षण के अधिकार है।

वित्तीय शक्तियाँ :

शक्तियों की विशिष्टियां	आंचलिक अधिकारियों की शक्तियां
यात्रा भत्ता बिलों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों पर प्रति हस्ताक्षर	आंचलिक कार्यालय में कार्यरत् सभी कर्मचारियों के लिये पूर्ण शक्तियां।
भाव आदि आमंत्रित किये बिना स्थानीय बाजार से छोटी-मोटी खरीद।	एक समय में स्थानीय बाजार से किसी एक वस्तु की नगद खरीदी जिसका मूल्य रूपये 10000/- से अधिक न हो।
लेखन सामग्री आदि की खरीद	प्रतिवर्ष रू. 50000/- तक।
पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की खरीद।	प्रतिवर्ष रू. 10000/- तक।
बेकार माल को बट्टे खाते में डालना।	ऐसे उपकरण जिनका अपलेखित मूल्य रूपये 50,000/- तक हो हेतु सम्पूर्ण शक्तियाँ।
कार्यालय, प्रयोगशाला, गैराज आदि के लिये भवनों को भाड़े पर लेना	प्रत्येक मामले में रू 25000/- प्रतिमाह तक (जिलाध्यक्ष द्वारा भाड़ा निर्धारण पर)
प्रयोगशाला उपकरणों का सुधार व संचालन-संधारण हेतु अनुबंध	रूपये 50,000/- तक
आकस्मिक व्यय मंजूर करना।	अनावर्ती स्वरूप की एकल मद के लिये रू. 10000/- तथा आवर्ती स्वरूप के मद के लिये रू. 2000/- तक।
वाहनों के रख-रखाव।	(अ) गाड़ियों के टायर क्रय करना

	(ब) बैटरी बदलना (स) वाहनों के सुधार हेतु एक बार में रू. 10000/-एवं प्रतिवर्ष 30000/- तक की शक्तियां।

अन्य शक्तियाँ :

शक्तियों की विशिष्टियां	आंचलिक अधिकारियों की शक्तियां
प्रदूषण से संबंधित शिकायतों पर निरीक्षण करना व उनका निपटारा करना।	कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का परिक्षण करना तथा मुख्यालय को अवगत कराना।
नॉन अटेन्मेंट सिटी संबंधी कार्य	कार्यक्षेत्र के नॉन अटेनमेंट सिटी हेतु भारत सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं म.प्र. सरकार द्वारा लागू योजना एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना
सेपी क्षेत्र संबंधी कार्य	कार्यक्षेत्र के क्रिटीकली पोल्यूटेड एरिया हेतु भारत सरकार, सीपीसीबी एवं म.प्र. सरकार द्वारा लागू योजना एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना
संभाग आयुक्त कार्यालय से समनवय	कार्यक्षेत्र के संभागीय कार्यालय स्तर पर आयोजित बैठकों में बोर्ड की ओर से भाग लेना
लाल श्रेणी के उद्योगों का निरीक्षण	अंचल के उद्योगों में पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त सम्मति एवं प्राधिकार में वर्णित शर्तो के कम्प्लायंस हेतु निरीक्षण के अधिकार है।

आंचलिक अधिकारियों द्वारा संभाग एवं जिले के विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय से प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही हेतु योजनायें बनवाने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार जिम्मेदारियाँ प्रदान की जाती हैं :-

- बोर्ड की आय में किन स्रोतों से वृद्धि की जाये इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर कार्यवाही की जाये ।
- कार्यक्षेत्र के संभागीय कार्यालयों, जिला प्रशासन, उद्योग विभाग, नगरीय निकाय, परिवहन विभाग, वन विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु पालन, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, स्थानीय अशासकीय संगठन आदि के साथ बैठक आयोजित कर पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।
- कार्यक्षेत्र में जल, वायु, वाहन, ध्वनि, खतरनाक अपशिष्ठ, जीव चिकित्सा अपशिष्ठ, नगरीय ठोस अपशिष्ट आदि के नियमानुसार अपवहन संबंधी कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन, उद्योग विभाग, नगरीय निकाय, परिवहन विभाग, वन विभाग, चिकित्सा विभाग, पशु पालन, औद्यौगिक केन्द्र विकास निगम, स्थानीय अशासकीय संगठन के साथ समन्वय कर कार्ययोजना बनवाकर लागू करना ।
- समय-समय पर विशेष अवसरों पर वृहद जन-मानस में जन-जागृति हेतु शासकीय विभागों एवं अशासकीय संगठनों से समन्वय कर कार्यवाही करना ।
- आंचलिक कार्यालयों के कार्यक्षेत्र के नगरीय निकायों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखते हुये उक्त योजनायें बोर्ड की सम्मति एवं अनुमति से क्रियान्वित कराई जायें ।
- आंचलिक कार्यालयों के कार्यक्षेत्र के शासकीय एवं जिला चिकित्सालयों में जीव चिकित्सा अपशिष्ठों के प्रबंधन, प्राधिकार एवं बोर्ड की सम्मति के अनुपालन

संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये ।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये तथा आदेशानुसार

(ए0 ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ0 कमांक 2279 /स्था/मुप्रनिबो/2017 भोपाल, दिनांक 22 SEP 2017

प्रतिलिपिः-

1. समस्त शाखा प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
2. समस्त आंचलिक/ क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
3. आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति ।